।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोंठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत भण्डवाडा

राजस्व अपील सं० 5/09/2020 तारीख रज्जू: 08.10.2020

01– प्रितम लाल पुत्र स्व० दीवान चन्द जाति खत्री उम्र करीब 72 वर्ष निवासी ग्राम भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर हाल निवासी बी–48 कर्मचारी कॉलोनी अलवर

–अपीलाण्ट

बनाम

01– श्रीमति कविता पत्नी देवराज पुत्री प्रितम लाल जाति खत्री निवासी ग्राम भण्डवाला हाल निवासी न्यू बलदेव नगर, मकान नं० 198/667 गुडगांवा (हरियाणा)

02– तरूण कुमार पुत्र प्रितम लाल जाति खत्री निवासी ग्राम भण्डवाडा हाल निवासी बी–48, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर –असल रेस्पोडेण्टान

03– जनक कुमारी उर्फ बेबी पुत्री दीवान चन्द जाति खत्री

04– मनोहर लाल पुत्र दीवान चन्द जाति खत्री

निवासीयान ग्राम भण्डवाडा तहसील व जिला अलवर

–तरतीबी रेस्पोडेण्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 25.05.2016 इंतकाल संख्या 523 वाके ग्राम भण्डवाडा

–: निर्णय :– दिनांक: 21.12.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, अलवर के निर्णय दिनांक 25.05.2016 इंतकाल संख्या 523 के विरूद्ध पेश की गई है। जिसमें अपीलाण्ट ने निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 746 रकबा 30 ऐयर में 23/24 हिस्से की व 759 रकबा 40 ऐयर में 17/31 हिस्सा वाके ग्राम भण्डवाडा की काबिज खातेदार काश्तकार श्रीमती प्रेमकुमारी स्त्री प्रितम लाल जाति खत्री थी। प्रेम कुमारी का देहान्त हो चुका है। प्रेम कुमारी के तीन कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वारिसान है – (1) प्रितम लाल (पति), (2) तरूण कुमार (पुत्र), (3) श्रीमति कविता (पुत्री) इंतकाल संख्या 523 दिनांक 25.05.2016 विरासत मृतक प्रेम कुमारी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। जिसमें जानबूझ कर बदनियती से मृतक प्रेम कुमारी के पति प्रितमलाल को मृतक दर्ज कर दिया गया है। आराजी का विरासत इंतकाल बहिस्सा बराबर रेस्पोडेण्ट नं० 1 श्रीमति कविता एवं रेस्पोडेण्ट नं० 2 तरूण कुमार के हक में दर्ज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया कि मृतक प्रेम कुमारी के हिन्दु उत्तराधिकार प्रावधानों के अनुसार तीन कानूनी वारिस थे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल दो कानूनी वारिसान के हम में इंतकाल विरासत दर्ज कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। प्रितम लाल आज भी मौजूद है कानून पत्नी की सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा पाने का अधिकारी है। इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सुनवाई का मौका नही दिया गया ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है। उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलाण्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या–2 दायर किया गया। जिसकी इत्तला रेस्पोडेण्ट संख्या–2 को माह फरवरी 2020 में हुई। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट के पुत्र तरूण ने अपीलाण्ट को दी। जिस पर नकल दिनांक 28.02.2020 को प्राप्त की गई। रफा हुज्जत एतराजात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र पेश किया गया एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.05.2016 बाबत इंतकाल संख्या 23 निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टान को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प भण्डवाडा में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को सुना।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रमाणित प्रति इंतकाल संख्या 523 एवं प्रितम लाल के आधार कार्ड संख्या 817133731942 एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 06.12.2021 को जारी जीवन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत भण्डवाडा द्वारा जारी जीवित प्रमाण पत्र की

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

फोटोप्रति पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 25.05.2016 इंतकाल संख्या 523 अपास्त किया जाता है। ग्राम पंचायत, भण्डवाडा को उक्त इंतकाल प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वारिसान की जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत भण्डवाडा में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सौठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)